संख्या- 55/2026/1263/1918166/12-2099/119/2026

प्रेषक,

डा0 एम.के.शन्मुगा सुन्दरम् ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 01 अक्टूबर, 2026**

विषय: 'नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना' एवं अन्य योजनाओं में कृषि यन्त्रीकरण से सम्बन्धित निर्गत शासनादेश दिनांक 04.06.2026 में आंशिक संशोधन किये जाने जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक 'नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना' एवं अन्य योजनाओं में कृषि यन्त्रीकरण से सम्बन्धित शासन के पत्र संख्या- 36/2026/676/1918166/12-2099/119/2025, दिनांक 04.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मिशन ऑन एग्री कल्चरल मैकेनाइजेशन योजना एवं अन्य योजनाओं में कृषि यन्त्रीकरण से सम्बन्धित कार्यमद के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 04-06-2026 में निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 में वर्णित प्रस्तरों को कॉलम-3 में वर्णित प्रस्तरों के अनुसार एतद्वारा संशोधन किया जाता है:-

क्रमांक	वर्तमान प्रस्तर	संशोधित प्रस्तर
1	2	3
1.	1.5. लाभार्थी के चयन के उपरान्त निर्धारित समयावधि में बिल अपलोड नहीं करने की दशा में टोकन मनी / जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पोर्टल पर चयनित सूची से लाभार्थी के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से क्रमानुसार नये लाभार्थी का नाम स्वतः प्रदर्शित होगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित लाभार्थी को टोकन कन्फर्म होने / लाभार्थी चयन के सम्बन्ध में तत्समय स्वतः पोर्टल से पंजीकृत मोबाइल पर मैसेज भेजा जायेगा एवं प्रतीक्षा सूची कन्फर्म होने की सूचना विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित करायी जाये।	1.5. लाभार्थी के चयन के उपरान्त निर्धारित समयावधि में बिल अपलोड नहीं करने की दशा में टोकन मनी/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
2.	2(xix). निर्धारित समयावधि में यन्त्र न खरीदने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा। यह व्यवस्था पोर्टल पर ही होगी सूची में अगला आवेदक स्वतः चयनित हो जायेगा और उसे सन्देश जायेगा।	विलोपित।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3.	लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल एवं upyantratracking.in पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्र का फोटो एवं सम्बधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिवस का समय दिया जायेगा। (कस्टम हायरिंग सेन्टर, एग्रीगेटर एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु 45 दिन का समय दिया जायेगा)। यदि समयान्तर्गत क्रय कर बिल एवं आवश्यक अभिलेख विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं कराया जाता है, तो उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची के कृषकों को बुकिंग में सम्मिलित करते हुए लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा निर्धारित समय में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड न करने पर पुनः बिल अपलोड नही किया जा सकेगा। निर्धारित मानक के यत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत तथा कृषि विभाग में इम्पैनल्ड कृषि यंत्र निर्माताओं में से किसी भी निर्माता/उसके विक्रेता से क्रय करने की स्वतन्त्रता होगी।	लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल एवं upyantratracking.in पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्र का फोटो एवं सम्बन्धित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिवस का समय दिया जायेगा। कस्टम हायरिंग सेन्टर, एग्रीगेटर एवं फार्म मशीनरी बैंक तथा 05 लाख से अधिक अनुदान के एकल कृषि यंत्रों हेतु 45 दिन का समय दिया जायेगा। यंत्रों के अभिलेख अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार कृषि निदेशक, उ०प्र० के पास होगा। यदि समयान्तर्गत क्रय कर बिल एवं आवश्यक अभिलेख विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं कराया जाता है, तो उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची के अवशेष कृषकों को सम्मिलित करते हुए नये कृषकों हेतु भी बुकिंग की जायेगी। तत्पश्चात् लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा निर्धारित समय में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड न करने पर पुनः बिल अपलोड नही किया जा सकेगा। निर्धारित मानक के यत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत तथा कृषि विभाग में इम्पैनल्ड कृषि यंत्र निर्माताओं में से निर्माता/उसके विक्रेता से क्रय करने की स्वतन्त्रता होगी।

3- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-36/2026/676/1918166/12-2099/119/2025, दिनांक 04.06.2026 में वर्णित सभी दिशा-निर्देश/शर्तें यथावत रहेंगी।

कृपया उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 एम.के.शन्मुगा सुन्दरम्
प्रमुख सचिव।

संख्या-55(1)/2026/1263/1918166/12-2099/119/2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0।
4- समस्त उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

संजीव रंजन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in